स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021
(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या.........वर्ष, 2021)

स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए—

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2021 है।
		(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
अधिनियम में संशोधन	2.	स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात मूल अधिनियम कहा गया है) में "संघटक महाविद्यालय" शब्दों के स्थान पर जहां जहां वे आते हैं, "संघटक महाविद्यालय/स्कूल" शब्द रख दिये जायेंगे।
धारा 4 का संशोधन	3.	मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (3) के खण्ड (क) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—
		"(क) विश्वविद्यालय का मुख्यालय स्वामी राम नगर, देहरादून, उत्तराखण्ड में अवस्थित होगा। विश्वविद्यालय का दूसरा परिसर तोली, मल्ला बदलपुर, पौड़ी गढ़वाल में स्थापित किया जायेगा: परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा मुख्य परिसर से इतर परिसर स्थापित किये जाने से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (निजी विश्वविद्यालयों में मानकों की स्थापना और रखरखाव) विनियम, 2003 (समय-समय पर यथा संशोधित) का पालन किया जायेगा।"
धारा 8 का संशोधन	4.	मूल अधिनियम की धारा 8 में, उपधारा (1) के खण्ड (ङ) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्—
		"(ङ) समरूप उद्देश्यों वाली संस्थाओं को दान देना या सहायता प्रदान करना;

धारा 21 का संशोधन

5. मूल अधिनियम की धारा 21 में, उपधारा (2) के खण्ड (ग) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(ग) अपने स्वयं के विनिश्चिय तथा विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकारी या अधिकारी द्वारा लिए गये विनिश्चयों का पुनरावलोकन करना।"

धारा 22 का संशोधन

6. मूल अधिनियम की धारा 22 में, उपधारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

"(1) प्रबन्ध मण्डल में निम्नलिखित होंगेः–

(क) कुलपति–अध्यक्ष;

(ख) प्रति–कुलपति, यदि हो;

(ग) उत्तराखण्ड सरकार के उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव / सचिव;

(घ) प्रायोजित संस्था द्वारा नामित 05 (पांच) सदस्य;

(ङ) कुलाधिपति द्वारा चक्रीय आधार पर नामित संघटक महाविद्यालयों / स्कूलों के 03 (तीन) डीन / प्रधानाचार्य / निदेशक;

(च) वरिष्ठता सह चक्रीय आधार पर कुलपति की अनुशंसा पर कुलाधिपति द्वारा नामित 02 (दो) आचार्य;

(छ) कुलसचिव–सदस्य सचिव;"

धारा 47 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 47 में, उपधारा (1) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्–

(1) विश्वविद्यालय के बैंक खाते किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अनुसूचित बैंक में खोले जायेंगे।

Statement of Objectives and reasons

For the practical operation, development and expansion in the present scenario of Swami Ram Himalayan University, which is established in Dehradun district of Uttarakhand state, it is expedient to amend the Swami Ram Himalayan University Act, 2012

2- Proposed bill fulfills the above objectives.

Dr. Dhan Singh Rawat
Minister

Swami Rama Himalayan University (Amendment) Bill, 2021
(Uttarakhand Bill No. ...... Year, 2021)

Further to amend the Swami Rama Himalayan University Act, 2012.

A

Bill

Be it enacted by Uttarakhand State Legislative Assembly in the Seventy-second Year of the Republic of India as follows:-

Short title and Commencement	1.	(1) This Act may be called the Swami Rama Himalayan University (Amendment) Act, 2021. (2) It shall come into force at once.
Amendment in the Act	2	In the Swami Rama Himalayan University Act, 2012, (hereinafter referred to as the principal Act) for the words "Constituent College" wherever they occur, the words "Constituent College/School" shall be substituted.
Amendment of Section 4	3.	In Section 4 of the principal Act, clause (a) of sub-section (3) shall be substituted as follows, namely:- "(a) The headquarters of the University shall be at Swami Rama Nagar, Dehradun, Uttarakhand. the second campus of the University shall be established at Toli, Malla Badalpur, Pauri Garhwal: Provided that University before establishing a campus outside the main campus, shall comply with the University Grants Commission (Establishment of and Maintenance of Standards in Private Universities) Regulations 2003 (as amended from time to time) "
Amendment of Section 8	4.	In Section 8 of the principal Act, clause (e) of sub-section (1) shall be substituted as follows, namely:-

(e) To grant donation or assistance to institutions having similar objectives.

Amendment of Section 21

5. In Section 21 of the principal Act, clause (c) of sub-section (2) shall be substituted as follows, namely:-

"(c) to review its own decisions and the decisions taken by any other authority or officer of the University"

Amendment of Section 22

6. In Section 22 of the principal Act, sub-section (1) shall be substituted as follows, namely:-

(1) The Board of Management shall consist of:-

(a) The Vice-Chancellor - Chairperson;

(b) The pro- Vice-Chancellor, if any;

(c) The Principal Secretary/Secretary, Government of Uttarakhand, Department of Higher Education;

(d) 05(five) persons nominated by the Promoting Society;

(e) 03(three) Deans/Principals/Directors of constitutent colleges/schools by rotation nominated by the Chancellor;

(f) 02(two) Professors on the basis of seniority cum rotation nominated by the Chancellor on recommendation of Vice-Chancellor;

(g) The Registrar - Member Secretary

Amendment of Section 47

7. In Section 47 of the principal Act, sub-section (1) shall be substituted as follows, namely:-

(1) The bank accounts of the University shall be opened in any nationalized bank or scheduled bank.

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 का संशोधन मात्र है।

2– प्रस्तावित विधेयक में राज्य की संचित निधि से किसी भी प्रकार का आवर्ती एवं अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अन्तर्निहित नहीं है।

डॉ0 धन सिंह रावत
मंत्री

विधायी शक्तियों का ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2012 को संशोधित किये जाने विषयक है।

2– प्रस्तावित विधेयक में विधायी शक्तियों का प्रत्यायोजन का सामान्य प्रत्यायोजन मात्र निहित है।

डॉ0 धन सिंह रावत
मंत्री

खण्डवार ज्ञापन

1. विधेयक के खण्ड–1 में विधेयक का संक्षिप्त नाम और प्रारंभ के विषय में व्यवस्था उपबन्धित किया जाना प्रस्तावित है।
2. विधयक के खड–2 में संघटक महाविद्यालय शब्द में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
3. विधयक के खण्ड–3 में विश्वविद्यालय के दूसरे परिसर का नाम अंकित किया जाना प्रस्तावित है।
4. विधयक के खड–4 में विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने वाले दान या सहायता के संबंध में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
5. विधयक के खण्ड–5 में व्यवस्थापक मण्डल की शक्ति में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
6. विधयक के खण्ड–6 में विश्वविद्यालय के प्रबन्ध मण्डल में संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।
7. विधयक के खण्ड–7 में विश्वविद्यालय का अनुसूचित बैंक में भी बैंक खाता खोले जाने के संबंध में प्राविधान अंकित किया जाना प्रस्तावित है।

डॉ0 धन सिंह रावत
मंत्री

मदन कौशिक
मंत्री।

उत्तराखण्ड शासन

अर्द्ध.शा.प.सं. 380 / IV(2)-2021–20(सा0) / 20
शहरी विकास विभाग
उत्तराखण्ड सरकार
देहरादून: दिनांक: 03 मार्च,2021

सम्मानित अध्यक्ष जी,

मैं विधान सभा के वर्तमान सत्र में "**उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक**, 2021 को सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ।

कृपया उक्त विधेयक को सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे।

मदन कौशिक

श्री प्रेम चन्द अग्रवाल,
मा0 अध्यक्ष,
विधानसभा, उत्तराखण्ड।

उद्देश्य और कारणों का कथन

राज्य सरकार द्वारा पूर्व में नगर निगमों के सम्पत्ति कर विषयक उपबन्धों में संशोधन करने के उद्देश्य से उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अध्यादेश, 2021 लाया गया था।

2– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है।

3– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति करता है।

मदन कौशिक
मंत्री